न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 20 / 2018 / बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिव के मुकदमा संख्या 64 / 2018 में निर्णय दिनांक 28. 03.2018 ।

अपीलांट

1. झीमो पत्नी कुम्भाराम उम्र 55 वर्ष
2. कुम्भाराम पुत्र चिमाराम
   जाति मेघवाल निवासी रातड़ी

   तहसील शिव, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. पूनमाराम पुत्र खेमाराम
   उम्र 64 वर्ष जाति जाट
   निवासी रूपासरिया (भीयाड़)
2. घमण्डाराम पुत्र चिमाराम
   उम्र 58 वर्ष जाति मेघवाल,
   निवासी रातड़ी
3. सांगाराम पुत्र आम्बाराम
   उम्र 52 वर्ष जाति भील
   निवासी रातड़ी
4. राणाराम पुत्र सोनाराम
   उम्र 55 वर्ष जाति
   मेघवाल, निवासी
   रूपासरिया।
5. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक
   ऑफ इण्डिया, शाखा शिव
6. शाखा प्रबंधक, आई.सी.
   आई.सी.आई.शाखा भीयाड़
7. राजस्थान राज्य जरिये
   तहसीलदार शिव

उपस्थित

1. वकील श्री राऊराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चेतनराम सारण रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री बालाराम गोदारा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 06.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1131 / 967, 1132 / 967, 967 ग्राम रातड़ी में आये हुये है। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने एकतरफा आदेश 10 दिन के भीतर–भीतर पारित कर दिया तथा अपीलांटगण को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलांट के खातेदारी खेत में से 12 फीट भूमि का कटाण का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पारित किया है जबकि अपीलांट के पड़ौसी खातेदार गजूदेवी पत्नी भीमाराम, पुरखाराम, हुकमाराम, शोभाराम पिसरान तिलोकाराम को तो पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि गजूदेवी वगैरा पड़ौसी होने तथा 06 फीट भूमि इनकी भी कटाण होनी थी। अपीलांट दिनांक 13.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर हुआ तो न तो अपीलांट को पेशी बताई गई तथा न ही मिसल की नकले दी गई। अपीलांट व उसके पड़ौसी खातेदारों को पूर्ण सुनवाई व बचाव का अवसर भी प्रदान नहीं किया। अपीलांट को अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 1131/967, 1132/967, 967 में पूर्व में भी एक रास्ता स्वीकृत हो चुका है रेस्पोडेंट पूनमाराम ने गलत तरीके से अपीलांट के खातेदारी खेत में से रास्ता मांगा है। उसके आने–जाने का रास्ता भूराराम खातेदार से नजदीक पड़ता है, उससे नहीं मांग कर अपीलांट को अंधेरे में रखकर उसके हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा वास्तविकता को छिपाया गया है। अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अपने खेत खसरा संख्या 1122/958 में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खेत खसरा संख्या 1131/967, 1132/967, 967 में से रास्ता काट कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1122/958 में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट संख्या 01 पूनमाराम द्वारा चाहा गया रास्ता अकेली अपीलांट के खेत में से नहीं है। यह रास्ता कई खेतों की सीमा पर कायम किया हुआ है। इस रास्ते की अविच्छिन्नता (Continuity) के लिए कुछ खातेदारों ने अपनी अभिवृति का राज्य हक में समर्पण किया जिससे राजकीय सिवायचक दर्ज भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग ली जा सके इसी लोकहित वाले रास्ते में मात्र 0.11 बीघा भूमि अपीलांट की भी शामिल है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से कटाण रास्ता घोषित की है। यदि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो सार्वजनिक हित प्रभावित होकर मात्र प्रतिवादी संख्या 01 (प्रार्थी) का ही रास्ता अवरूद्ध नहीं होगा बल्कि इस रास्ते की अविच्छिन्नता (Continuity) टूट जाएगी है और इसका सार्वजनिक उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका फर्द को आधार मानकर निर्णय दिया है उसके अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि इस रास्ते हेतु रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 ने तो बाकायदा बिना कोई क्षतिपूर्ति राशि लिए अपनी भूमि देने की सहमति दी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते के लिए महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर निर्धारण करना वांछित है:–

प्रथम रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता हो, द्वितीय वैकल्पिक रास्ता न हो। प्रस्तुत प्रकरण में बहुउपयोगी जनहिताय सुगम आवागमन हेतु रेस्पोडेंट/प्रार्थी एवं अन्यों को भी रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता एवं सर्वोतम विकल्प रूप में चयनित भूमि को रास्ते हेतु कटान किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः लिहाजा अपील अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2018 को यथावत रखा जाता है।

6/3/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner